



Speed Post

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-835/DI/40/2023-SSW

दिनांक: 19/04/2023

1. श्री अशोक कुमार
सचिव, शिक्षा विभाग
GNCTD
Delhi - (Delhi)
Email: seeyedu@nic.in
Phone:- 011-23890187

2. श्री संजय अरोरा
पुलिस आयुक्त
पुलिस मुख्यालय
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
Email:- cp. sanjayarora@delhipolice.gov.in

विषय: अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के साथ श्री इंतियाज आलम (टीजीटी, कम्प्युटर साइंस, ID 20180892) राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालय खानपुर द्वारा गाली गलौच तथा जान से मरने की धमकी के संबंध में :- श्री हंसराज मीना (टीजीटी, हिन्दी,) राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालय खानपुर का अभ्यावेदन

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री हंसराज मीना से दिनांक 27/03/2023 में एक याचिका प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न) और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है, अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर आयोग को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्यवाही से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

(अंकित कुमार सेन /Ankit Kumar Sen)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
दूरभाष सं.: 011-24641640

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. श्री हंसराज मीना,
राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालय,
खानपुर नंबर 2,
नई दिल्ली- 110062
(Mobile No:9868064711)

2. NIC, NCST (please upload on the website)